



सक्षम माननीय अध्यक्ष म०प्र०राजस्व मंडल सर्किट केम्

भोपाल

निग/14050 PFR-15

प्रकरण क.

निगरानी/15

श्रीमती हल्की बाई पत्नि स्व०श्री बाबूलाल
आयु वयस्क निवासी ग्राम दीवानगंज
कृषक ग्राम बरजोरपुर तह० सांची
जिला रायसेन म०प्र०

आवेदिका

विरुद्ध

1. अनवर अली खान पुत्र श्री फरमान अली
आयु वयस्क निवासी चटाईपुरा
बुधवारा भोपाल

2. रमेश आत्मज स्व०बाबूलाल
आयु वयस्क निवासी-ग्राम दीवानगंज
तह० सांची जिला रायसेन म०प्र०

अनावेदकगण

म०प्र० भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदिका निम्न निवेदन प्रस्तुत करती है:-

यह कि विद्वान न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग
भोपाल द्वारा दि० 13/1/15 दिये गये आदेश के संबंध में यह
निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

श्री कु. सुनील विन्जना एवं
श्री एम. एस. ठाकुर अधि-
हंसा दिनांक 18-12-15
को प्रस्तुत।

बुधवार
18/12/15
5.0

भोपाल
18/12/15

श्री
श्री

R 4058 & R 2/15 रायमन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं आदि के हस्ताक्षर
1-3-2017	<p>अमेरिका की ओर ले कुं कुनीता रेखवा अभिजातक न उपाधिपत्र होकर प्रकरण नहीं चर्चा का अनुरोध किया। अनुरोध : स्वीकार किया जाता है। प्रकरण रती चर्चा के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">अध्याक्ष</p>	